न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-128RAAJodhpur2023-67RTA225 Durgadevi Vs Rajuram etc

दुर्गा देवी पत्नी चम्पालाल, जाति कुम्हार निवासी 15 ए शंकर नगर सांगरिया बाई पास तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. *राजुराम पुत्र मंगलाराम*
2. *कल्याण पुत्र मंगलाराम*
3. *महेन्द्र पुत्र मंगलाराम*
4. *पुष्पा पुत्री मंगलाराम*
5. *देवली पत्नी मंगलाराम*
6. *गणकी पत्नी राजूराम,*
   जातियान पटेल निवासीगण वार्ड सं 25 बेरा मालियों का कोयटा के पास उचियार्डा बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 06 फरवरी 2023सहायक कलक्टर बिलाड़ाराजस्व प्रार्थना पत्रसंख्या 04/2022दुर्गादेवी बनाम राजूरामइत्यादि

उपस्थित-
श्री सुनिल पटेल,अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से छः

नि र्ण य

दिनांक : 04 जून 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टरबिलाड़ा द्वाराराजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2022 अनवान दुर्गादेवी बनाम राजूराम इत्यादिमें पारितआदेशदिनांक 06 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 6071 रकबा 02.04 बीघा ग्राम बिलाड़ा चक-4 तहसील बिलाड़ाके संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 11.11.2020 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2021 को निर्णय एवं डिक्री जारी कर वाद को स्वीकार कर लिया गया। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 07 एवं 13 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उक्त निर्णयों को अपास्त कर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलार्थीनी के आवेदन का खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीनी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व मूल दावा सं 94/2018 में आदेशिका दिनांक 16.07.2019 के जरिये प्रतिवादी/अपीलांट पर तामील हेतु सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजे जाने के आदेश दिये गये, किंतु रेस्पोडेण्ट्स की ओर से आगामी तारीख पेशी 19.8.2019 को भी कोई रजिस्टर्ड ए. डी. मय सम्मन पेश नही किया गया, न ही अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट मे रेस्पोडेण्ट्स द्वारा सम्मन लिफाफा मय फर्द तलबाना के प्रस्तुत किये जाने का ऑर्डरशीट में उल्लेख किया गया है। इसके उपरांत भी दिनांक 16.09.2019 की ऑर्डरशीट में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया जाना कि प्रतिवादी सं. 1 को भेजे गये रजिस्टर्ड ए. डी. से भेजे गये सम्मन की एक प्रति व पोस्टल रसीद पेश की जो सामिल मिशल करवाई गई। जिस प्रकार वर्णित किया है वह अपने आप में सन्देहपूर्ण है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.09.2019

की ऑर्डरशीट के अनुसार यह स्पष्ट वर्णित है कि प्रतिवादी स. 1 को भेजा गया सम्मन अदम तामिल लौटा है। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता मे उल्लेखित स्पष्ट प्रावधानो पर गौर किये बिना तथा कानूनी प्रक्रिया के विपरीत सीधे तौर पर रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सीधे ही अपीलार्थीनी के सम्मन अखबार में प्रकाशन के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 16,17,18,19 में वर्णित प्रकिया को एडोप्ट ही नहीं किया गया। दुर्गा देवी पर तामीली हेतु सम्मन आदेश 5 नियम 20 के तहत ही अखबार में प्रकाशित करवाया जा सकता था, न कि धारा 151 सीपीसी के तहत। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थीनी की सम्यक तामील मानी गई है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार को वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड बेचान दिनाक 03.10.2018 के जरिये बेचान कर दी थी, तथा उक्त बेचान की पालना में नामांतरकरण संख्या 2477 स्वीकृत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना विधिविरूद्ध तरीके से वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है तथा अपीलार्थीनी के प्रार्थना पत्र को मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि ''मामले में दिनांक 11.11.2020 को प्राथमिक निर्णय मय डिक्री पर्चा जारी किया जा चूका है तथा उसके बाद दिनांक 7.12.2021 को अन्तिम निर्णय मय डिकी पर्चा जारी किया जा चुका है। इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी.पी. सी. चलने योग्य नही है।'' अपीलार्थीनी वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे सुना जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया किअपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 फरवरी 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं

एक तरफा निर्णय एवं निर्णय डिकी दिनांक 11.02.2020 एवं दिनांक 11.11. 2020 को अपास्त कर अपीलांट को नियमानुसार पुनः सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत मामला माननीय अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2011-12 सप्ली. आर.आर.टी. 330, ए.आई.आर.1992 गुहावटी पेज 121 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीनी द्वारा वाद प्रस्तुति से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सुनिल कुमार को बेचान कर दी गई, किंतु उक्त बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामांरकरण स्वीकृत नहीं हुआ था। अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति के वक्त प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थीनी एवं प्रतिवादी संख्या दो सुनिल कुमार पक्षकार संयोजित किया था। अपीलार्थीनी पर उसके स्थाई पत्ते पर सम्मन की रजिस्टर्ड डाक से तामील नहीं होने पर वादीगण द्वारा उसके सम्मन दैनिक अखबार से प्रकाशित करवाकर सम्यक तामील करवायी गई, उसके बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, जिस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, फिर भी जवाब पेश नहीं किया गया तो जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत साक्ष्य लेकर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत तारीख पेशी 11.11.2020 को वादीगण का दावा स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर किसी पक्षकार द्वारा कोई आपति पेश नहीं करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय मय डिक्की पर्चा दिनांक 07 12 2021 को पारित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री

दिनांक07.12.2021 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी अलग अलग इन्द्राज की जा चुकी है। अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उसे अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मूल वाद की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या एक के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से बार-बार भिजवाये जाने के बावजूद भी तामील नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 24.09.2019 को प्रतिवादी संख्या एक/अपीलार्थीनी के सम्मन दैनिक अखबार में प्रकाशन के आदेश दिये गये, जिसकी पालना में वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या एक/अपीलार्थीनी के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर दिनांक 21.10.2019 को समाचार पत्र की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। उसके पश्चात भी अपीलार्थीनी के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रकट होता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए वाद का विधिनुसार निस्तारण किया जाना प्रकट होता है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिये जाने से नामांतरकरण संख्या 2477 दिनांक 04.11.2018 के जरिये दुर्गादेवी के स्थान पर सुनिल कुमार का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी में

निहित खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण कर दिये जाने से वह वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपील प्रस्तुत करने अथवा किसी प्रकार की चाराजोही करने की अधिकारिणी नहीं ठहरती है। अपीलार्थीनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के तथ्य हस्तगत मामले से भिन्न होने पर प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयसहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वाराराजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2022 अनवान दुर्गादेवी बनाम राजूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 फरवरी 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर